संख्या-163/2020/3594/26-3-2020-1(13)/2020

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 18 दिसम्बर 2020

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 एवं 83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत तृतीय त्रैमासिक किश्त (माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020) तथा चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (माह जनवरी 2021 से मार्च 2021) की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-649/सक/वृ0पे0यो0/एन0एस0ए0पी0/2020-21 दिनांक-04.11.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-01-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-125100.00 लाख के सापेक्ष रू0-15733.68 लाख, अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-789- 04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-67400.00 लाख के सापेक्ष रू0-31950.00 एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-6000.00 लाख के सापेक्ष रू0-3000.00 अर्थात **कुल धनराशि रू0-50683.68 लाख (रू0-पांच अरब छः करोड़ तिरासी लाख अरसठ हजार मात्र)** की धनराशि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत तृतीय त्रैमासिक किश्त (माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020) तथा चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (माह जनवरी 2021 से मार्च 2021) कुल 6 माह हेतु 51,21,459 पेंशनरों को पेंशन दिये हेतु स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020 तथा 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-01-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-163/2020/3594(1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।